खाद्य सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2014

सं.फा. 7(190)/12/डीओएफएस/प्रशा./8973–82.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59–एचआईएम(I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खाद्य सुरक्षा विभाग से संबंधित भर्ती नियमों की दिनांक 4 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या फा. 2(15)/78–सेवा–2, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने के लिये की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **कैमिस्ट** के पद के लिये भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिये संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–(i) इन नियमों को खाद्य सुरक्षा विभाग, **कैमिस्ट** भर्ती नियमावली, 2014 कहा जायेगा।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :–उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण, पे बैंड, ग्रेड पे, तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि** :–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव**:— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे—बैंड तथा ग्रेड—पे/वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
कैमिस्ट	10* (2014) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है	सामान्य सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय	पीबी—2, 9300—34800/— रुपये + (ग्रेड पे 4200/—रुपये)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये पाँच वर्ष तक शिथिलनीय) **नोट**:—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।	विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी खाद्य एवं पोषाहार में स्नाकोत्तर उपाधि धारक अथवा डेयरी/तेल प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि धारक अथवा पशु चिकित्सा आयुर्विज्ञान में डिग्री धारक या रसायनिक संस्था (भारत) द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषण अनुभाग में परीक्षा द्वारा रसायन संस्थान (भारत) का कोई एसोसिएट है तथा ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो। **टीप—1** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकरण के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप—2** यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकरण के अभिमत से अनुसूचित

4818 DG/14—2

						जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रति–नियुक्ति/समावेशन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	**वर्ग "ख" में विभागीय पदोन्नति समिति के नामित सदस्य हैं:** 1. प्रधान सचिव (स्वा. एवं परि. कल्या.), दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), दिल्ली सरकार – सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (स्वास्थ्य), दिल्ली सरकार – सदस्य	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुषमा सिंह, उप–सचिव (स्वा. एवं परि. कल्या.)